

# समाहरणालय, पटना ।

(शस्त्र शाखा)

फोन न० 0612-2219545 (का०)  
फैक्स न०-0612-2218900  
Email : dampatnaarmssection@gmail.com  
dm-patna.bih@nic.in

## —: आदेश :-

27-09-2013


आवेदक कैप्टन भानु प्रकाश सिन्हा, पिता-स्व० लेफ्टिनेंट कर्नल यू०पी० सिन्हा, सा०- 46/60, ऑफिसर्स फ्लैट, बेली रोड, थाना-कोतवाली, जिला-पटना से प्राप्त एक एन०पी०बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या-09-509/2013 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की गयी।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक-27.09.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे बिहार विधान सभा, पटना में मार्शल के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें निजी सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति की आवश्यकता है। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान-माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक-1345/गो०, दिनांक-22.09.2013 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को मूल में अग्रसारित कर भेजा गया है। पुलिस उपाधीक्षक, विधि-व्यवस्था, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, कोतवाली के अनुशंसा एवं अग्रसारण के आलोक में आवेदक का शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, कोतवाली द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक बिहार विधान सभा, पटना में मार्शल के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें निजी सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति की आवश्यकता है। तदोपरान्त आवेदक के जान-माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके आलोक में थानाध्यक्ष द्वारा आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संघारित कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान-माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा


 216

उपस्थित हाकर रखे गये तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त कैप्टन भानु प्रकाश सिन्हा, पिता-स्व० लेफ्टिनेंट कर्नल यू०पी० सिन्हा, सा०- 46/60, ऑफिसर्स फ्लैट, बेली रोड, थाना-कोतवाली, जिला-पटना को उनके द्वारा अपने जान-माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन०पी०बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कैप्टन सिन्हा को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगे।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।



जिला दण्डाधिकारी,  
पटना।



जिला दण्डाधिकारी,  
पटना।

ज्ञापक - 3924 / श०, दि. 8.10.13

प्रतिलिपि - कैप्टन भानु प्रकाश सिन्हा, पिता स्व० ले० कर्नल यू० पी० सिन्हा सा०-46/60, ऑफिसर्स फ्लैट बेली रोड, थाना-कोतवाली, जिला पटना को सूचनाय प्रेषित।

प्रतिलिपि - थानाध्यक्ष, कोतवाली थाना को सूचनाय प्रेषित।

प्रतिलिपि - सा०॥ जिला शर दंडा० बिहार रा० को सूचनाय प्रेषित।

8/10/13  
श्रीमान् श्री दंडा०  
8.10.13